जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

पत्रांक:- BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/ 4524 दिनांक : 10.11.2022

कार्यालय आदेश

देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों तथा मद्य निषेध विभाग / पुलिस द्वारा जेल भेजे गए पारंपरिक रूप से शराब व्यवसाय से जुड़े योग्य व्यक्तियों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव

राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका,क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु “सतत् जीविकोपार्जन योजना” की शुरुआत की गई।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े योग्य परिवारों तथा मद्य निषेध विभाग / पुलिस द्वारा जेल भेजे गए पारंपरिक रूप से शराब व्यवसाय से जुड़े योग्य व्यक्तियों का योजना से जुड़ाव संशोधित चयन मापदंड (पत्रांक : BRLPS/ Proj-M&E/1373/18/4218 दिनांक--10.12.2021) के अनुरूप किया जाना है।

1. जिला प्रशासन / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों तथा जेल भेजे गए व्यक्तियों की सूची जीविका जिला कार्यालयों को उपलब्ध करायी जा रही है।
2. जीविका संपोषित ग्राम संगठनों द्वारा चयनित तीन सदस्यीय टीम (2 सामुदायिक संसाधन सेवी तथा 1 जीविका मित्र अथवा बूक कीपर) द्वारा सूची के अनुसार सभी परिवारों का गृह भ्रमण कर सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव हेतु योग्य परिवारों का विवरण तैयार कर प्रखंड इकाई में जमा किया जाना है। संबन्धित ग्राम संगठन द्वारा योग्य परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव हेतु अनुमोदन एवं जुड़ाव किया जाएगा।
3. प्रखंड इकाई द्वारा सूची प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर परिवारों का सत्यापन कराते हुए प्रतिवेदन जिला इकाई से साझा किया जाएगा।
4. जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा संबन्धित प्रखंड इकाइयों से प्राप्त प्रतिवेदन को 3 दिनों के अंदर जिला प्रशासन/ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जीविका राज्य इकाई से साझा किया जाएगा।

सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों को निदेशित किया जाता है कि वे जिला प्रशासन/ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा प्राप्त सूची अनुसार परिवारों का उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्य परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबन्धित ग्राम संगठनों में कार्य करने वाले तीन सदस्यीय टीम के सदस्यों को

उनके कार्य दिवस के अनुसार जीविका आंतरिक सीआरपी पॉलिसी (BRLPS Internal CRP Policy) अनुसार प्रत्येक सदस्य को मानदेय का भुगतान संबन्धित जीविका प्रखंड द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर इस व्यय को सी.आर.पी. मद में एन.आर.एल.एम./ एन.आर.ई.टी.पी. शीर्ष के तहत व्यय एवं समायोजन किया जाएगा।

इसके साथ ही योजना अंतर्गत पूर्व से चयनित देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों के आजीविका गतिविधियों के विस्तार तथा विविधीकरण हेतु निर्गत कार्यालय आदेश-BRLPS/Proj-SJY/1552/19/VOL-III/4491 दिनांक-07.11.22 के अनुसार निर्धारित कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक 1 –लक्षित परिवारों के चयन हेतु संशोधित मापदंड

अनुलग्नक 2- प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों के सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव संबन्धित प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3- संबन्धित ग्राम संगठन द्वारा परिवार सर्वेक्षण प्रशनावली

अनुलग्नक 4- कार्यालय आदेश - BRLPS/Proj-SJY/1552/19/VOL-III/4491 दिनांक-07.11.22

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव ,मध् निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला परियोजना प्रबन्धक (जीविका), सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-1

क्रम स०	पूर्व मापदंड	संशोधित मापदंड (पत्रांक: बीआरएलपीएस/प्रोजेक्ट-एमएनई/1373/18/4218 दिनांक-10-12-2021)	टिपण्णी
1	परिवार का मासिक आय (रु० 3000 से कम है)	परिवार का मासिक आय (रु० 5000 से कम है)	संशोधित मापदंड
2	**नीचे दिए गए मापदंडो में से चयन के लिए 7 में "नहीं" अनिवार्य है :-**	**नीचे दिए गए मापदंडोमें से चयन के लिए 2 में "नहीं" अनिवार्य है :-**	संशोधित मापदंड
3	परिवार के पास अपना पक्का मकान (छत एवं दिवार) है	परिवार के पास अपना पक्का मकान (छत एवं दिवार) है जो परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त है।	संशोधित मापदंड
4	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है	मौजूदा मापदंड
5	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है	मौजूदा मापदंड
6	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनोंमें लगातार घर में पैसा भेज रहा है	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनों में लगातार घर में पैसा भेज रहा है	मौजूदा मापदंड
7	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000 रुपये से अधिक का औपचारिक स्त्रोतों से ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		निरस्त मापदंड
8	परिवारका कोई भी सदस्य आय अर्जित करने के लिए 5000 रूपये से अधिक मूल्य की उत्पादक सम्पति का मालिक है ओर उसका उपयोग कर रहा है		
9	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
10	परिवार के पास आय का एक से अधिक स्त्रोत है		
11	परिवार किसी भी संगठन से जुड़ा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
12	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनो से लगातार बचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
13	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
14	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओ का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन,मनरेगा एवं जन वितरण प्रणाली)		

अनुलग्नक - 2

जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव संबन्धित प्रतिवेदन

जिला का नाम : प्रखंड का नाम :

क्र॰ सं॰	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पंचायत	गाँव	वार्ड	सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु योग्य लाभार्थी (हाँ/नहीं)	स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव (हाँ / नहीं)	अभियुक्ति
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

प्रखंड परियोजना प्रबन्धक

दिनांक :

जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली

A. मूलभूत जानकारी

सर्वेक्षण का तारीख	
परिवार के मुखिया का नाम	
शहर/गाँव का नाम	
वार्ड संख्या	
पंचायत का नाम	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	

B. उत्तरदाता के बारे में जानकारी

1. उत्तरदाता का नाम : ________________________________

2. उत्तरदाता की आयु : ________________________________

3. उत्तरदाता का लिंग :
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

पुरुष		महिला		अन्य	

4. परिवारों के सदस्यों की संख्या:

व्यस्क पुरुष		व्यस्क महिला		बच्चे	लड़का:
					लड़की:

5. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	

6. पारिवारिक विवरणी:

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम (बड़े से छोटे उम्र के क्रम में)	आयु	व्यवसाय	मासिक आय	टिप्पणियां

<u>नोट</u>: *यदि यहाँ तक की जानकारी प्राप्त करने तक परिवार की कोई भी महिला कार्य करने योग्य एवं समूह से जुड़ने लायक नहीं पाए जाती है तो सर्वेक्षण कार्य उचित कारण देते हुए समाप्त करे ।अन्यथा लक्षित महिला लाभार्थी की श्रेणी में पाए जाने की स्थिति में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली को भरें।*

C. लक्षित परिवार (महिला समूह से जुड़ी हैं / जुड़ने योग्य है) के संबंध में जानकारी

1. महिला का नाम : ____________________

2. महिला की आयु : ____________________

3. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार) : ____________________

4. वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐ विधवा ☐
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें
तलाकशुदा ☐ विवाहित लेकिन पति के साथ नहीं रहती है ☐

5. पति/पिता का नाम : ____________________

6. **जाति श्रेणी:** अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जन जाति (ST) ☐ पिछड़ा जाति (BC) ☐
अत्यंत पिछड़ा जाति(EBC) ☐ अल्पसंख्यक(Minority) ☐ सामान्य (Gen.) ☐

7. **उत्तरदाता महिला किसी स्वयं सहायत समूह का सदस्य है :** हाँ ☐ नहीं ☐

8. **यदि हाँ , तो स्वयं सहायत समूह (SHG) का नाम** :..

D. लक्षित परिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

लक्षित परिवार की परिभाषा : सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार, नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवार के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को शामिल किया जायेगा।

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे दो अनिवार्य मापदंडो को पूरा करते हैं|

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पूरे करने हैं :-							
(क)				(ख)			
ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार				देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार			
क्रसं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्रसं.	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े थें			2 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े थें		
1 (b)	परिवार का मासिक आय(रु. 5000 से कम है)			2 (b)	परिवार का मासिक आय (रु. 5000 से कम है)		

नोट-सभी दो अनिवार्य मापदंड को अंकित करना आवश्यक है|

8/√

(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न चार वैकल्पिक मापदंडो में से दो में नहीं आता हैं |

क्रसं	**नीचे दिए गए मापदंडो में से चयन के लिए 2 में " नहीं" अनिवार्य है :-**	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है।		
2	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है ।		
3	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है जो परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त है।		
4	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनों में लगातार घर में पैसा भेज रहा है।		

नोट- चयन के लिए 4 मापदंडो में से चयन के लिए '2' में'नहीं'होना अनिवार्य है |

सी०आर०पी का नाम: .... **हस्ताक्षर:** ....

सी०आर०पी का नाम: .... **हस्ताक्षर:** ....

सी०आर०पी का नाम: .... **हस्ताक्षर:** ....

F. सर्वेक्षण किया गया परिवार (लाभार्थी): [चयनित] [अस्वीकृत]

कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

ग्राम संगठन के सचिव का नाम : ....

तारीख के साथ हस्ताक्षर : ....

जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

BRLPS/Proj-SJY/1552/19/VOL-III/4491 Date-07.11.22

कार्यालय आदेश

सतत् जीविकोपार्जन योजना

राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुडे अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की शुरुआत की गयी। योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1.50 लाख परिवारों का चयन किया गया है। **योजना अंतर्गत चयनित नीरा व्यवसाय से जुड़े परिवारों, देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों के आजीविका गतिविधियों के विस्तार तथा विविधीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य किए जाने है :-**

1. योजना अंतर्गत चयनित नीरा व्यवसाय से जुडे परिवारों,देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े सभी अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु जीविकोपार्जन निवेश निधि तथा जीविकोपार्जन अंतराल निधि 30 नवम्बर 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाए।
2. **(क)** योजना अंतर्गत चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश के रूप में औसतन निवेश रु. 60,000/- (अधिकतम रु. 1,00,000/-) प्रति परिवार सहयोग दिए जाने का प्रावधान है।
   प्रावधान के तहत एलआईएफ-द्वितीय किस्त या उससे अधिक के किस्तों के लिए द्वितीय किस्त की माँग फॉर्मेट के अनुसार भुगतान किया जाना है।
   (ख) प्रखंड परियोजना प्रबन्धक-जीविका द्वारा उत्पादक परिसंपत्ति की खरीददारी में संबन्धित परिवारों को समुचित सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा 15 दिसम्बर 2022 तक सभी खरीददारी पूर्ण कर लिया जाना है।
3. प्रखंड परियोजना प्रबन्धक-जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत ग्राम संगठनों को हस्तांतरित की गयी राशि (जीविकोपार्जन निवेश एवं अंतराल राशि तथा विशेष निवेश निधि) का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराते हुए जिला कार्यालय में नियत प्रपत्र में 15 दिसम्बर 2022 जमा किया जाना है।
4. जिला वित्त प्रबंधकों द्वारा सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को 15 दिसम्बर 2022 तक Tally में संधारित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि वे सासाहिक रूप से संबन्धित कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे तथा साथ ही सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत दिये गए सभी अग्रिम राशि का नियमानुसार समायोजन करना उपरोक्त निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न- अनुलग्नक 1 (जिला-वार योजना सम्बंधित अग्रिम राशि की विवरणी)

विश्वासभाजन

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

प्रतिलिपि-

1. सभी जिलों के जिला परियोजना प्रबन्धक, वित्त प्रबन्धक, एस.जे.वाई. नोडल तथा प्रखंड परियोजना प्रबन्धक
2. राज्य इकाई के सभी कर्मी
3. संबन्धित संचिका